(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 07 / 2026

पंजीकरण संख्या :– 2026 / 34

बउनवान

रामकिशन सुमन पुत्र श्री मथुरालाल सुमन निवासी तिसाया तहसील एवं जिला बारां (राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी, बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 14.05.2026

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.03.2026 को लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी, बारां को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 11 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी जो अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी, बारां के विरूद्व पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 21.04.2026 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी, बारां को जरिये सम्मन कमांक 313–314 दिनांक 22.04.2026 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन कमांक 313–314 दिनांक 22.04.2026 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी, बारां द्वारा उनके कार्यालय के पत्र कमांक / राजस्व / 2026 / 221 दिनांक 23.04.2026 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी का आवेदन उनके कार्यालय में दिनांक 11.03.2026 को आमद किया गया। उक्त आवेदन में अंकित बिंदुओं की सूचना तहसील कार्यालय से संबंधित होने के कारण उक्त आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 161 दिनांक 12.03.2026 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु तहसीलदार, बारां को भिजवा दिया गया जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी दी गई। इसके पश्चात् तहसीलदार, बारां द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक / भू.अ. / 2026 / 1805 दिनांक 13.03.2026 से सूचना नायब तहसीलदार कोयला से संबंधित होने के कारण आवेदन पत्र उनको प्रेषित किया गया।

प्रकरण में नायब तहसीलदार, कोयला द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक/भूअ/2026/226–230 दिनांक 06.04.2026 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई आवेदन पत्र में चाही गई 11 बिंदुओं की सूचना में से 10 बिंदुओं का बिंदुवार जवाब प्रस्तुत कर उनके कार्यालय में उपलब्ध सूचना उपलब्ध करवा दी गई है जिसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय को एवं उपखंड अधिकारी, बारां व तहसीलदार, बारां को भी दी गई। प्रकरण में 11 वें बिंदु की सूचना दिया जाना अपेक्षित नहीं समझा गया है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी, बारां के जरिये नायब तहसीलदार, कोयला से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना नायब तहसीलदार, कोयला के पत्र क्रमांक/भूअ/2026/226–230 दिनांक 06.04.2026 से अपीलार्थी को भिजवाते हुए इस न्यायालय को भी प्रतिलिपि दी गई।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी, बारां के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी, बारां को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **14.05.2026** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ